भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली- 110 001

सं0 842-495/2004-वीएएस/109 दिनांक 26.2.2007

सेवा में,

सभी यू ए एस लाइसेंसधारक

विषय : एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस करार में संशोधन।

एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस करार के खण्ड 5.1 के अनुसरण में सुरक्षा शर्तों से संबंधित खण्ड 41.9 में संलग्न ब्योरे के अनुसार संशोधन किया गया है।

2. समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों एवं अनुदेशों सहित लाइसेंस करार के अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

3. कृपया पावती भेजें।

(बी0एल0 पंवार)
सहायक महानिदेशक (वीएएस-।।)
दूरभाष : 23710506

प्रतिलिपि :

1. वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी) खुर्शीद लाल भवन जनपथ, नई दिल्ली।
2. सचिव, ट्राई
3. बेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी विंग
4. उप महानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग
5. उप महानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग
6. उप महानिदेशक (डीएस) दूरसंचार विभाग
7. उप महानिदेशक (सी एंड ए),
8. ए0एस0 प्रकोष्ठ के सभी निदेशक दूरसंचार विभाग की वेबसाइटको अद्यतन बनाने हेतु ।
9. गार्ड फाइल ।

197

यूएएस लाइसेंस की विद्यमान शर्तें	संशोधित शर्तें
2.2 (घ) (ii) लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि वायरलेस प्रणालियां संस्थापित करते समय प्रयुक्त रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 कि0मी0 की दूरी पर की जाए, और ऐसे रेडियो ट्रांसमीटर इस ढ़ंग से कार्य करेंगे कि इनसे निकलने वाले संकेत सीमा के नजदीक आते-आते या सीमा पार करने के करीब आकर नष्ट हो जाएं और ये सीमा से एक उपयुक्त दूरी के भीतर अप्रयोज्य हो जाएं।	2.2 (घ) (ii) भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था के मामले में खण्ड 41.9 में विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी।
41.9 लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि वायरलेस प्रणालियां संस्थापित करते समय प्रयुक्त रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 कि0मी0 की दूरी पर की जाए, और ऐसे रेडियो ट्रांसमीटर इस ढ़ंग से कार्य करेंगे कि इनसे निकलने वाले संकेत सीमा के नजदीक आते-आते या सीमा पार करने के करीब आकर नष्ट हो जाएं और ये सीमा से एक उपयुक्त दूरी के भीतर अप्रयोज्य हो जाएं।	41.9 (i) वायरलेस/मोबाइल सेवा के संबंध में भारतीय भू-भाग के भीतर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे 500 मीटर के दायरे में "गैर सेवा क्षेत्र" होगा जहां लाइसेंसधारकों को वायरलेस/मोबाइल सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं है। लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा कि संकेत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 500 मीटर के दायरे में अप्रयोज्य हो जाएं और "गैर सेवा क्षेत्र" में कोई वायरलेस/मोबाइल सेवा उपलब्ध न हो। 41.9(ii) लाइसेंसधारक नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी), जम्मू कश्मीर में अखनूर और पठानकोट क्षेत्रों के 10 कि0मी0 के दायरे में, जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, 10 कि0मी0 के दायरे में एक "बफर क्षेत्र" का सृजन करेगा, जहां वह अपने सेल स्थलों/बीटीएस/रेडियो ट्रांसमीटरों को संस्थापित नहीं करेगा। 41.9(iii) लाइसेंसधारकों द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सुरक्षा एजेंसियों सहित लाइसेंस प्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा आवधिक अचानक जांच की जाए। यदि "गैर सेवा क्षेत्र" में प्रयोज्य मोबाइल सिग्नलों तथा/अथवा "बफर क्षेत्र" में सेल स्थलों/बीटीएस/रेडियो ट्रांसमीटरों के मामले में कोई उल्लंघन पाया जाता है तो वित्तीय दंड लगाने सहित लाइसेंस करार की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।